न्यायालय में, सदस्य महोदय, मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा, म0प्र0

निगरानी 1641-II-15

रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड , सीबीएम प्रोजेक्ट
कार्यालय ग्राम लालपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री पी0के0 श्रीवास्तव ------ निगरानीकर्ता

बनाम

राजू चौधरी पिता श्री हीरालाल चौधरी,निवासी ग्राम जरवाही
तहसील बुढार जिला शहडोल म0प्र0 ------ उत्तरदाता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

प्रार्थी / निगरानीकर्ता की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनय है :–

प्रश्नाधीन आदेश

निगरानी विरूद्ध आदेश कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बुढार , तहसील बुढार जिला शहडोल म0प्र0 संभाग शहडोल म0प्र0 के राजस्व प्रकरण कमांक–21 / अ–12 / 2014–15, मे जारी आदेश दिनांक–17.04.2015, जिसके माध्यम से उत्तरदाता द्वारा कराये गये त्रुटिपूर्ण सीमांकन की पुष्टि की गई । अन्तर्गत धारा 129 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कम्पनी विधि के आधीन पंजीकृत एक कम्पनी), को भारत सरकार द्वारा कोल वेड मीथेन के सर्वे, उत्खनन एवं एवं उत्पादन के लिए म0प्र0 के सोहागपुर क्षेत्र मे अधिकार प्रदान किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को म0प्र0 मे कोल वेड मीथेन ब्लाक के अन्तर्गत सोहागपुर (पश्चिम) कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर एवं सोहागपुर (पूर्व) मे कुल क्षेत्रफल 495 वर्ग किलोमीटर मे कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तथा निगरानीकर्ता अधिकृत हस्ताक्षरी है ।

2– यह कि ग्राम जरवाही पटवारी हल्का जरवाही नम्बर 14, राजस्व निरीक्षक मण्डल बुढार तहसील बुढार जिला शहडोल म0प्र0 स्थित आराजी खसरा नम्बर 804 / 1क रकवा 0.333 हेक्टेयर एवं आराजी खसरा नम्बर 804 / 1ख रकवा 0.332 हेक्टेयर निगरानीकर्ता के भूमिस्वामित्व की आराजी हे जिसे निगरानीकर्ता के द्वारा जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26.04.2014 के माध्यम से कय कर जरिये नामान्तरण पंजी कमांक 10 एवं 11 आदेश दिनांक 13.12.2014 के माध्यम से नामान्तरण कराकर मौके से मुताविक चौहद्दी काविज दखील होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं ।

For Reliance Industries LTD
AUTHORIZED SIGNATORY

(58)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मांक R1641-II/15 जिला–शहडोल

रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लालपुर/ राजू चौधरी

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील बुढ़ार के प्रकरण क्रमांक 21/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द चौधरी), सदस्य	